भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1917

मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता का परिनियोजन

1917 श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पूर्व में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर चरण-II) तथा राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में संस्थापित रूफटॉप सौर क्षमता का जिला-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष-वार स्वीकृत, जारी की गई तथा उपयोग की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र में लाभार्थी परिवारों की संख्या, प्रत्येक अनुमोदन चरण पर लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में आवेदन से लेकर कमीशनिंग तक औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या सूचीबद्ध विक्रेताओं, सब्सिडी वितरण अथवा नेट-मीटरिंग में विलंब के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यान्वयन में सुधार तथा समयबद्ध सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सरकार द्वारा मार्च 2019 में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर फेज- II को लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में फरवरी 2024 में लॉन्च की गई PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (PMSG: MBY) में शामिल कर दिया गया था। दोनों योजनाएं मांग आधारित हैं और महाराष्ट्र राज्य में इन योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान कुल लगभग 203.89 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की गई थी। वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

इन योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	जारी किया गया सीएफए (करोड़ रुपये)
2019-20	-
2020-21	3.21
2021-22	-
2022-23	14.84
2023-24	149.87

(ग): पीएमएसजीएमबीवाई (PMSG: MBY) के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में, दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार, विक्रेता चयन के साथ कुल 2,61,777 आवेदनों को राष्ट्रीय पोर्टल पर आरटीएस स्थापना की रिपोर्ट करना बाकी है। राज्य में 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता की स्थापना के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन को माफ कर दिया गया है और ऑटो लोड वृद्धि की स्वीकृति दी जा रही है। महाराष्ट्र में आवेदन से लेकर कमीशनिंग तक का औसत समय 92 दिनों का है, उसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 88 दिन का है।

(घ) और (ङ) पीएमएसजी एमबीवाई के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को सूचीबद्ध विक्रेताओं, सब्सिडी वितरण और नेट मीटरिंग में विलंब के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों के समय पर समाधान के लिए संबंधित विक्रेताओं, डिस्कॉम और अन्य अधिकारियों के साथ सामने मामले को उठाया जाता है। योजना के तहत कार्यान्वयन में सुधार और समय पर सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया। नेशनल पोर्टल पर सभी विवरण सही ढंग से दर्ज करने पर, उपभोक्ता द्वारा रिडेम्पशन का अनुरोध करने के बाद CFA जारी करने में औसतन 15 दिन का समय लगता है।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए कोलेट्रल-फ्री ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- नेट मीटरिंग समझौते को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बना दिया गया है, जिससे एक अलग करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।

- कुशल मेनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम द्वारा योजना के बारे में जागरुकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अलावा, एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता का परिनियोजन' के संदर्भ में पूछे गए दिनांक 04.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1917 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(मेगावाट में)

क्र.सं	जिला	वित्त वर्ष 19-20	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	कुल
1	अहिल्यानगर	0.00	0.00	0.01	0.57	2.74	3.32
2	अकोला	0.00	0.00	0.01	0.92	5.22	6.14
3	अमरावती	0.00	0.00	0.27	1.92	11.17	13.35
4	बीड	0.00	0.00	0.02	0.36	1.31	1.69
5	भंडारा	0.00	0.00	0.05	0.38	2.22	2.65
6	बुलढाणा	0.00	0.00	0.13	0.47	3.01	3.61
7	चंद्रपुर	0.00	0.00	0.05	0.98	4.12	5.15
8	छत्रपति संभाजीनगर	0.00	0.00	0.08	2.00	11.41	13.48
9	धाराशिव	0.00	0.00	0.00	0.30	1.01	1.31
10	धुले	0.00	0.00	0.00	1.46	5.79	7.25
11	गढ़चिरौली	0.00	0.00	0.00	0.17	0.97	1.14
12	गोंदिया	0.00	0.00	0.00	0.35	1.98	2.33
13	हिंगोली	0.00	0.00	0.00	0.23	0.79	1.02
14	जलगांव	0.00	0.00	0.10	2.22	11.19	13.52
15	जालना	0.00	0.00	0.00	0.34	1.60	1.94
16	कोल्हापुर	0.00	0.00	0.04	1.25	5.51	6.79
17	लातूर	0.00	0.00	0.34	1.68	4.67	6.68
18	मुंबई	0.00	0.00	0.01	0.00	0.54	0.55
19	मुंबई उपनगरीय	0.00	0.00	0.08	0.14	0.77	0.99
20	नागपुर	0.00	0.03	0.64	7.26	34.78	42.71
21	नांदेड़	0.00	0.00	0.02	1.17	4.47	5.66
22	नंदुरबार	0.00	0.00	0.01	0.74	3.02	3.76
23	नासिक	0.00	0.00	0.12	1.63	9.31	11.06
24	पालघर	0.00	0.00	0.00	0.14	1.41	1.55
25	परभणी	0.00	0.00	0.01	0.24	1.34	1.58

26	पुणे	0.00	0.00	0.17	2.61	16.28	19.06
27	रायगढ़	0.00	0.00	0.04	0.22	1.24	1.50
28	रत्नागिरी	0.00	0.00	0.01	0.16	0.59	0.75
29	सांगली	0.00	0.00	0.06	0.46	2.09	2.60
30	सतारा	0.00	0.00	0.00	0.42	1.56	1.98
31	सिंधुदुर्ग	0.00	0.00	0.03	0.10	0.21	0.33
32	सोलापुर	0.00	0.00	0.09	0.82	3.21	4.13
33	ठाणे	0.00	0.00	0.15	1.37	2.01	3.52
34	वर्धा	0.00	0.00	0.02	0.72	3.47	4.21
35	वाशिम	0.00	0.00	0.00	0.67	2.24	2.92
36	यवतमाल	0.00	0.00	0.00	0.48	3.16	3.64
	कुल	**0.00**	**0.03**	**2.51**	**34.94**	**166.41**	**203.89**
